

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 64/2017 प्रार्थना पत्र

उनवान

1-श्रीमती कंचन कंवर पत्नि कृष्णगोपालसिंह राजपूत नि० नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
प्रार्थीया

बनाम

- 1-बंशीलाल पिता धन्ना लौहार नि० नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-गोपी पिता उदा लौहार नि० नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-मदन पिता हीरा लौहार नि० नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-शिवलाल पिता रामचन्द्र दाधिच नि० नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-मुरली पिता रामचन्द्र दाधिच नि० नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-ओमप्रकाश पिता रामचन्द्र दाधिच नि० नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-घनश्याम पिता रामचन्द्र दाधिच नि० नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 22.06.2017


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नान्दशा मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1599 रकबा 0.53 हे०, 1600 रकबा 0.08 हे० कुल किता 02 कुल रकबा 0.61 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 46 पर स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मे दरम्यान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 उक्त आराजियात के चारो तरफ के पड़ौसी होने से उन्हे पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 05.05.2017 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु

विवश होना पड़ा। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 15.05.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देश नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः


आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1599 रकबा 0.53 हे०, 1600 रकबा 0.08 हे० कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.61 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 46 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 100/- अक्षरे सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 280/- अक्षरे दो सौ अस्सी रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।


साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा